


न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, सर्किट कोर्ट, रीवा, (म.प्र.)



R - 3080 - III 114

1. गोवर्धन प्रसाद पयासी तनय स्व. श्री रामनारायण पयासी, उम्र 62 वर्ष
2. अनुराग पयासी तनय श्री गोवर्धन पयासी, उम्र 32 वर्ष,
3. आलोक पयासी तनय श्री गोवर्धन पयासी, उम्र 36 वर्ष

संभी निवासी ग्राम गुढ़, तहसील व थाना गुढ़, जिला-रीवा (म.प्र.)

निगरानीकर्तागण

सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1. ब्रह्मदीन गौतम तनय श्री केदारनाथ गौतम,
2. आशा देवी पुत्री श्री केदारनाथ गौतम,
3. काशी प्रसाद तिवारी तनय श्री चन्द्रभानराम तिवारी,
4. लालमणि तिवारी तनय श्री हरिवंश तिवारी,
5. शासन मध्यप्रदेश।

गैर निगराकारगण

पुनरीक्षण आवेदन विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर
रीवा, जिला-रीवा म0प्र0 के निगरानी प्रकरण
क्रमांक 80/अ-12/2010-11 में पारित
आदेश दिनांक 23.06.2014

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता 1959 ईस्वी।

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

श्री गोवर्धन पयासी

495
22.8.14

श्री गोवर्धन पयासी तनय
आज दिनांक 22-8-14
प्रस्तुत किया गया।

क्रमांक 2769
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 22/8/14 को प्राप्त

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

22/08/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R3080-III/14

जिला-रीवा

गोवर्धन प्रसाद पयासी/ ब्रम्हीन गौतम

(1)	(2)	(3)
05/8/19 H	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिवेणी प्रसाद सोंधिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 80/अ-12/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	